Print Date:-07/Aug/2026 03:01 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Chitaresh Kumar Mittal
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 07-08-2026 15:01:28

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26080130006

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 07-AUG-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	57833300	12279000	0	70112300
	योग	57833300	12279000	0	70112300

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,22,79,000 (Rupees One Crore Twenty Two Lacs Seventy Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2608:0002

Approval Status : e-Sign letter

संख्याः421003/IV(3)/2026–03(02 वि0आ0)/2026

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 **देहरादून,दिनांकः 07 अगस्त, 2026**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 के अन्तर्गत नगर पंचायत, चमियाला में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट स्थापना संबंधी कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–I/384309/IV(3)/2026–03(15वि0आ0)/2026 दिनांक 31.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न नगर निकायों में कुल लागत रू0 4247.10 लाख के स्ट्रीट लाईटों की स्थापना कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त रू0 1956.45 लाख अवमुक्त की गयी थी, जिसके अन्तर्गत क्रमांक–1 पर **नगर पंचायत, चमियाला में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट स्थापना संबंधी कार्य भी सम्मिलित है।** इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–100/श0वि0नि0/बजट समर्पण/2025–26, दिनांक 06.04.2026 द्वारा ISFC पोर्टल की धीमी गति के कारण गत तत्सम्बन्धी देयक कोषागार को प्रेषित नहीं किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए बजट आई0डी0 सं0–HS 26030130008 द्वारा उक्त धनराशि के समर्पण की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–I/384309/IV(3)/2026–03(15वि0आ0)/2026 दिनांक 31.03.2026 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत नगर पंचायत, चमियाला में सी0सी0एम0एस0 व एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य की टी0ए0सी0 द्वारा आगणनवार औचित्यपूर्ण कुल लागत **रू0 306.98 लाख (रू0 तीन करोड़ छः लाख अठानवें हजार मात्र)** की पुनः प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू0 122.79 लाख (रू0 एक करोड़ बाईस लाख उनासी हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि आहरित कर योजनान्तर्गत उक्त नगर निकायों को इलैक्ट्रानिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अवलिम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।
2. CCMS आधारित स्मार्ट लाइटिंग इफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु लाईटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पुरानी लाईटों को भी क्रियाशील रखा जायेगा तथा प्रश्नगत योजना हेतु O&M की अवधि (5 वर्ष) समाप्त होने के उपरांत O&M नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।
3. स्ट्रीट लाईटों की स्थापना हेतु मानकों के अनुरूप सामग्री की अधिप्राप्ति, स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत की जायेगी। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये एक ही संकलित ई–निविदा आमंत्रित की जायेगी तथा आमंत्रित ई–निविदा में प्राप्त दरों, पूर्व ई–निविदा में प्राप्त दरो, प्रचलित बाजार दरों के अनुसार सम्यक् मूल्यांकन एवं परीक्षण कर दरों की युक्तियुक्ता को सुनिश्चित किया जायेगा तथा दरों के Comparison हेतु समान प्रकृति के कम से कम एक राज्य यथा हिनाचल प्रदेश सहित निकटवर्ती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों की दरें प्राप्त करते हुए प्राप्त दरें Competitive होने पर युक्तियुक्त निर्णयोपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

File No. UD3-1/2/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 104910)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2026 02:52 pm

4. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिन स्थलों पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना की जानी है, उन स्थानों पर उरेडा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट अथवा अन्य किसी योजना से कार्य नहीं किया गया है और न ही प्रस्तावित है। उपरोक्त स्वीकृत कार्य में से यदि कोई किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यों निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। निविदा के माध्यम से चयनित फर्म को कार्यपूर्ति के अनुसार किश्तों में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कार्यों हेतु मुख्यमंत्री शहरी विकास अवस्थापना विकास योजना दिशानिर्देश–2025 में प्रदत्त निर्देशों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विषयगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात् किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Park नहीं किया जायेगा। तथा आंगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।
8. स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात् Parking of Fund नहीं किया जायेगा।
9. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य की समाप्ति के फोटोग्राफ कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे।
10. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्य की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आंगणन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
13. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
14. कार्य हेतु उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
15. कार्य प्रारम्भ करने पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025(यथासंशोधित) तथा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. नियोजन विभाग, उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 05 वर्ष तक O&M की कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा एवं उसके पश्चात् सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा।
17. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2026 02:52 pm

18. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
19. कार्यों के सम्पादन में वित्तीय समिति, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–2019(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–384289/E–94611/09(150) 2019/XXVII(1)/2026 दिनांक 01.04.2026 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
20. कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।
21. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2027 तक पूर्ण उपभोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, निकाय का अंश होने संबंधी प्रमाण–पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। सत्संबंध में प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा और तदोंपरांत शहरी विकास निदेशालय के सन्बन्धित अधिकारी का होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–01–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/420425/2026 दिनांक 06.08.2026 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न–अलॉटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 07-08-2026
14:43:31

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या–421003()/IV(3)/2026–03(02 वि0आ0)/2026, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकस मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चमियाला।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD3-1/2/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 104910)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH. REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2026 02:52 pm